भारत–सरकार
कार्यालय, आयकर आयुक्त–1
आयकर भवन, पावटा 'सी'– रोड, जोधपुर

दिनांक : 18.02.2011

आदेशः–

विषयः– आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी के तहत छूट,

*****

दानदाताओं द्वारा न्यास/सचिव **इण्डियन इन्स्टीटयूट आफ टेक्नोलोजी**, (पेन AAAJITS0320F). केम्प आफिस, एम. बी.एम. इन्जीनियरिंग कालेज, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर साइंस एण्ड इन्जीनियरिंग, जोधपुर को दिये गये दान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी के तहत उक्त धारा में निहीत सीमाओं तथा शर्तो के साथ आयकर से छूट के योग्य होंगे।

यह छूट अवधि दिनांक **28.10.2010 से जब तक इसे रदद् नही किया** जाता **तब तक** निम्नाकिंत शर्तो के साथ मान्य होगी :–

1. दान दाताओ को दी जाने वाली रसीदो पर इस आदेश की संख्या व दिनांक अंकित की जावे, और यह स्पष्ट रूप से छपाया जाय की यह प्रमाण पत्र किस दिनांक/अवधि तक मान्य है साथ में रसीद पर पान संख्या (PAN) भी छपाई जाय।
2. आय और व्यय लेखा विवरण, चिटठा इत्यादि आपके मामले के क्षेत्राधिकार रखने वाले निर्धारण अधिकारी को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करे।
3. यदि संस्था/न्यास/समिति के संविधान/विधान में कोई संशोधन किया जाता है तो उसकी जानकारी इस कार्यालय को एवं अपने क्षेत्र के निर्धारण अधिकारी को तुरन्त प्रस्तुत करे।
4. संस्था/न्यास/समिति को दिये गये दान की राशि के लिए दान दाता आयकर अधिनियम की धारा 80जी के प्रावधानो/शर्तो/सीमाओ के अनुसार छूट प्राप्त करने के हकदार होगें।

(बी. पी. जैन)
आयकर आयुक्त–1, जोधपुर

<u>नोटः–</u> इस प्रमाण पत्र के आधार पर न्यास को अपने कर निर्धारण के समय छूट प्राप्त करने का कोई अधिकार नही होगा। निर्धारण अधिकारी यह जाँच पडताल करे की न्यास /संस्था/ समिति आयकर अधिनियम की धारा 2/15 के प्रावधानो के अनुसार धमार्थ (चेरिटेबल) है या नही और धारा 11, 12,12ए एवं 13 में उल्लेखित शर्ते पूरी करता है या नही।

क्रः आआ–1/आ.अ.(तक)/जो/2010–11/1022 दिनांकः 18.02.2011

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. न्यासी/अध्यक्ष/सचिव **इण्डियन इन्स्टीटयूट आफ टेक्नोलोजी**, केम्प आफिस, एम. बी.एम. इन्जीनियरिंग कालेज, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर साइंस एण्ड इन्जीनियरिंग, जोधपुर
2. अपर आयकर आयुक्त, रेंज–1, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. आयकर अधिकारी, वार्ड–1(2), जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि न्यास/संस्था/समिति द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी की स्वयं जाँच–पडताल करें कि धारा 80जी तथा प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी किये गए निर्देशों एवं शर्तो को निरन्तर पूरा करती है या नही, यदि निर्देशों एवं शर्तो को पूरा नही करता है तो आवश्यक कार्यवाही हेतु इसे कार्यालय को तुरन्त सूचित करे।

(मोहनन टी.एन. नायर)
आयकर अधिकारी(तकनीकी),
कृते आयकर आयुक्त–1, जोधपुर

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान
23 FEB 2011
D/No. 34007
निदेशालय / DIRECTORATE

भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त–1,
आयकर भवन, पावटा 'सी'– रोड., जोधपुर

दिनांक : 18.02.2011

आदेश:–

विषयः– आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12अ(अ) के अधीन न्यास/ संस्था का पंजीकरण इण्डियन इन्स्टीटयूट आफ टेक्नोलोजी, केम्प आफिस, जोधपुर (पेन AAAJITS0320F).

*****

प्रार्थी **इण्डियन इन्स्टीटयूट आफ टेक्नोलोजी**, केम्प आफिस, एम. बी.एम. इन्जीनियरिंग कालेज, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर सांइस एण्ड इन्जीनियरिंग, जोधपुर में विधमान है, जो दिनांक 24.03.2009 को न्यास/ मेमोरेन्डम आफ एसोशियेशन द्वारा गठित हैं, दिनांक 28.10.2010 को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12अ(अ) के अधीन पंजीकरण के लिए निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना को स्वीकार करते हुए, संस्था को इस कार्यालय मे रखी गई संस्था/न्यास/समिति का पंजीकरण रजिस्ट्रर में क्रम संख्या 75/5 पर दर्ज कर लिया गया है। **यह पंजीकरण दिनांक 28.10.2010 से प्रभावी होगा।**

ह०
(बी. पी. जैन)
आयकर आयुक्त–1, जोधपुर

क्रः आआ–1/आ.अ.(तक)/जो/2010–11/1624 दिनांकः 18.02.2011

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. न्यासी/अध्यक्ष/सचिव **इण्डियन इन्स्टीटयूट आफ टेक्नोलोजी**, केम्प आफिस, एम. बी.एम. इन्जीनियरिंग कालेज, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर सांइस एण्ड इन्जीनियरिंग, जोधपुर।
2. आयकर अधिकारी, वार्ड–1(2), जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि इस मामले में न्यास/ संस्था/समिति के दावे को आयकर अधिनियम की धारा 11 एवं धारा 80जी के तहत मान्यता/अमान्यता के सम्बन्ध में अलग से जाँच करे। क्योकि धारा 12ए(ए) के अधीन पंजीकरण देने से कोई मामला अपने आप धारा 11 एवं धारा 80जी के तहत छूट का हकदार (मान्य) नही हो जाता है।
3. अपर आयकर आयुक्त, रेंज–1, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(मोहनन टी. एन. नायर)
आयकर अधिकारी(तकनीकी),
कृते आयकर आयुक्त–1, जोधपुर

(मोहनन टी. एन. नायर)
आयकर अधिकारी (तकनीकी)
आयकर आयुक्त Mo.G 694
जोधपुर